

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4000
उत्तर देने की तारीख 19.12.2024

जनजातीय समुदायों को रोजगार

4000. श्रीमती संध्या राय:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संपूर्ण देश में सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही जनजातीय कल्याण योजना का ब्यौरा क्या है;
- (ख) गत पांच वर्षों के दौरान उक्त योजनाओं हेतु आवंटित धनराशि का योजना एवं वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) जनजातीय समुदायों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री

(श्री दुर्गा दास उइके)

(क) से (ख): सरकार देश में अनुसूचित जनजातियों और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत जनजातीय विकास के लिए हर वर्ष अपने कुल योजना बजट का कुछ प्रतिशत आवंटित कर रहे हैं।

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित कर रहा है। मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान योजना-वार और वर्ष-वार आवंटित निधि (बजट अनुमान) का विवरण **अनुलग्नक II** में दिया गया है।

(ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अपनी दो एजेंसियों अर्थात् भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से जनजातीय समुदायों के बीच उद्यमशीलता सहित आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

मंत्रालय ट्राइफेड के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना को क्रियान्वित कर रहा है, जिसका उद्देश्य जनजातीय (आदिवासी) उद्यमिता पहल को मजबूत करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उपज (एमएफपी)/गैर-कृषि उपज के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधित, इष्टतम उपयोग को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को प्रत्येक वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) की स्थापना के लिए 15.00 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं। अब तक 3958 वीडवीके स्वीकृत किए जा चुके हैं। ट्राइफेड ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से धातु शिल्प, कपड़ा, आभूषण, पेंटिंग, बेंत और बांस, टेराकोटा और मिट्टी के बर्तन, जैविक और प्राकृतिक खाद्य उत्पादों आदि जैसे विभिन्न श्रेणियों के जनजातीय (आदिवासी) उत्पादों के विपणन के लिए जनजातीय (आदिवासी) कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज भी प्रदान करता है। ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए अब तक 4990 जनजातीय कारीगरों/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध किया है। पिछले पांच वर्षों के दौरान, ट्राइफेड ने 130.58 करोड़ रुपये की खरीद की है और 186.02 करोड़ रुपये की बिक्री की है।

इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड जनजातीय कारीगरों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने तथा उन्हें संभावित खरीदारों से जोड़ने के लिए मंच प्रदान करने हेतु उत्सवों, मेलों आदि का आयोजन करता है तथा उनमें भाग लेता है, जिससे उन्हें अपनी उद्यमशीलता गतिविधियों को बढ़ाने का अवसर मिलता है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आय सृजन गतिविधियों/स्वरोजगार के लिए रियायती ऋण प्रदान करके ऋण लिंकेज प्रदान करता है, जिससे उनमें उद्यमशीलता की भावना पैदा होती है। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएं सावधि ऋण योजना, जनजातीय (आदिवासी) महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई), स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) और जनजातीय (आदिवासी) शिक्षा ऋण योजना (एसआरवाई) हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान एनएसटीएफडीसी की विभिन्न योजनाओं के तहत 6,23,605 लाभार्थियों को 1577.12 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई है।

“जनजातीय समुदायों को रोजगार” के संबंध में श्रीमती संध्या राय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक I

देश में जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही प्रमुख योजनाओं/कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण:

i) **धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान:** माननीय प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर, 2024 को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में 17 संबंधित मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य 63,843 गांवों में बुनियादी ढांचे के अंतरों को पाटना, स्वास्थ्य, शिक्षा, आंगनवाड़ी सुविधाओं तक पहुँच में सुधार करना और 5 वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में 5 करोड़ से अधिक जनजातियों को लाभान्वित करते हुए आजीविका के अवसर प्रदान करना है। अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ रुपये (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) है।

ii) **प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन):** सरकार ने 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) शुरू किया है, जिसे जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। लगभग 24,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय वाले इस मिशन का उद्देश्य 3 वर्षों में समयबद्ध तरीके से सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसरों जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पीवीटीजी परिवारों और बस्तियों को संतृप्त करना है।

iii) **प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम):** जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) का क्रियान्वयन कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं, यानी, “न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास” और “जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता” के विलय के माध्यम से डिजाइन किया गया है।

इस योजना में चयनित एमएफपी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण और घोषणा की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष एमएफपी मद के मौजूदा बाजार मूल्य के निर्धारित एमएसपी से नीचे गिरने की स्थिति में पूर्व-निर्धारित एमएसपी पर खरीद और विपणन संचालन नामित राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों जैसे कि टिकाऊ संग्रह, मूल्य संवर्धन, बुनियादी ढांचे का विकास, एमएफपी के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास पर भी ध्यान दिया जाएगा।

(iv) **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस):** जनजातीय (आदिवासी) बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) की शुरुआत की गई थी। नई योजना के तहत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया, 50% से अधिक अजजा आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय (आदिवासी) व्यक्तियों (जनगणना 2011 के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदान के तहत वित्त पोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत (अपग्रेड) किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अजजा छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

(v) **संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान:** संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बढ़ाने और जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किया जाता है। यह एक विशेष क्षेत्र कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में अवसंरचना गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई ज़रूरतों के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

(vi) **अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता:** अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों, आजीविका आदि को कवर करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है।

(vii) **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** यह योजना उन छात्रों के लिए लागू है जो कक्षा IX-X में पढ़ रहे हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय प्रति वर्ष 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों के लिए 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों के लिए 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ शासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से वितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(viii) **अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी स्रोतों से माता-पिता की आय 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षिक संस्थानों द्वारा लिये जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति

द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। यह योजना राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोक्त और पहाड़ी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू और कश्मीर जहां यह 90:10 है, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्त पोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधानसभा वाले संघ शासित प्रदेशों के लिए साझाकरण पैटर्न 100% केंद्रीय हिस्सा है।

(ix) अजजा उम्मीदवारों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्तियाँ: इस योजना के तहत चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल की पढ़ाई करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। हर साल कुल 20 छात्रवृत्तियाँ दी जाती हैं। इनमें से 17 छात्रवृत्तियाँ अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियाँ विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए हैं। सभी स्रोतों से माता-पिता/परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(x) अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति:

(क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (उच्च श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य मेधावी अजजा छात्रों को मंत्रालय द्वारा पहचाने गए देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में निर्धारित किन्हीं पाठ्यक्रमों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से परिवार की आय प्रति वर्ष 6.00 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में ट्यूशन शुल्क, रहने का खर्च और किताबों तथा कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अजजा छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी का उच्च अध्ययन करने के लिए अजजा छात्रों को हर साल 750 अध्येतावृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी मानदंडों के अनुसार दी जाती है।

(xi) जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करता है ताकि जहां पहले से टीआरआई मौजूद नहीं हैं, वहां नए टीआरआई स्थापित किए जा सकें और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को मजबूत किया जा सके ताकि अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि की दिशा में अपने मुख्य उत्तरदायित्व को पूरा किया जा सके। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, राज्य के अन्य भागों में जनजातियों के लिए आदान-प्रदान दौरे, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां चलाने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकतानुसार टीआरआई को 100% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

“जनजातीय समुदायों को रोजगार” के संबंध में श्रीमती संध्या राय द्वारा दिनांक 19.12.2024 को पूछे जाने वाले लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 4000 के भाग (क) से (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक II

(करोड़ रुपए में)

योजना	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
टीएसपी को एससीए (प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना-पीएमएएजीवाई)	1350.00	1350.00	1350.00	1354.38	1485.00
अनुच्छेद 275 (1) के अंतर्गत अनुदान	2662.55	1350.00	1350.00	1350.00	1472.10
एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)	0.31	1313.23	1418.04	2000.00	5943.00
अनुसूचित जनजातियों के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	110.00	110.00	110.00	110.00	140.00
प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)	-	-	-	499.00	288.49
विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) का विकास	250.00	250.00	250.00	252.00	256.14
जनजातीय अनुसंधान (शोध) संस्थानों (टीआरआई) को सहायता	100.00	110.00	120.00	121.00	118.64
अजजा छात्रों की उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति	100.00	100.00	150.00	145.00	145.00
विदेश में अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति	2.00	2.00	3.00	4.00	4.00
मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	340.00	400.00	400.00	419.00	411.63
मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1613.50	1900.00	1993.00	1965.00	1970.77
